भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 289

05 दिसम्बर, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को शिक्षा के लिए सहायता

289. श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) यूक्रेन में युद्ध के कारण देश लौटे चिकित्सा छात्रों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) युद्धग्रस्त यूक्रेन से स्वदेश लौटे कितने चिकित्सा छात्रों को शिक्षा के लिए सहायता प्रदान की गई है;

(ग) ऐसे छात्रों की शिक्षा पूरी करने के लिए अपनाई गई नीति का ब्योरा क्या है;

(घ) भारतीय छात्रों को चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने इन कारणों का समाधान करते हुए देश में चिकित्सा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ भारती प्रविण पवार)

(क) से (ङ) यूक्रेन में युद्ध के कारण देश लौटे मेडिकल विद्यार्थियों को पेश आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने निम्नलिखित प्रावधानों के साथ एक योजना तैयार की है:

(i) भारतीय छात्र जो अपने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में थे और बाद में जिन्होने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और दिनांक 30 जून, 2022 को या उससे पहले उन्हे पाठ्यक्रम/डिग्री पूरी करने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, उन्हें विदेशी चिकित्सा स्नातक (एफएमजी) परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की गई है।

(ii) एफएमजी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, ऐसे विदेशी चिकित्सा स्नातकों को दो वर्ष की अवधि के लिए अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप (सीआरएमआई) से गुजरना अपेक्षित है ताकि वे पंजीकरण के लिए सक्षम हो सकें।

(iii) एनएमसी ने यूक्रेन द्वारा प्रस्तावित शैक्षिक मोबेलिटी कार्यक्रम अर्थात् अन्य विश्वविद्यालयों में अस्थायी स्थानांतरण (संघर्ष की अवधि के लिए) पर अनापत्ति व्यक्त की है। इस छूट के तहत, यूक्रेन से लौटने वाले एफएमजी को अपने शेष चिकित्सा पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए एकबारगी के अवसर का लाभ उठाने की अनुमति है। हालांकि डिग्री विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जा सकती है जहां वे स्थानांरित होंगे। दिनांक 22.11.2023 के नोटिस के माध्यम से, एनएमसी ने ऐसे छात्रों को 3 महीने की अवधि के लिए छूट दी है।

इसके अलावा, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सितंबर 2023 से शुरू होने वाले सेमेस्टर में 5,715 भारतीय छात्र यूक्रेनी विश्वविद्यालयों में नामांकित हैं। उनमें से, 2,510 छात्र वर्तमान में यूक्रेन में ऑफ़लाइन मोड में पढ़ रहे हैं, 2,952 छात्र ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे हैं और 242 छात्र एकेडमी मोबेलिटी कार्यक्रम के तहत तीसरे देशों में पढ़ रहे हैं।

इसके अलावा, भारत में चिकित्सा शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के लिए, सरकार ने मेडिकल कॉलेजों और एमबीबीएस सीटों की संख्या में वृद्धि की है। जिला/रेफरल अस्पताल का उन्नयन करके नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अंतर्गत 157 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी प्रदान की गई हैं, जिनमें से 108 पहले से ही कार्यशील हैं। मेडिकल कॉलेजों में 82% की वृद्धि हुई है जिनकी संख्या वर्ष 2014 मे 387 थी वह अब बढ़कर 706 हो गई है। एमबीबीएस सीटों मे 112% की बढ़ोतरी हुई है जिनकी संख्या वर्ष 2014 मे 51,348 थी जो अब बढ़कर 1,08,940 हो गई है तथा पीजी सीटों की संख्या भी 127% वृद्धि के साथ बढ़कर अब 70,674 हो गई है जो वर्ष 2014 में 31,185 थी।

****